

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर 48

पौडासीन अधिकारी

:- श्री अमिताभ कौशिक
आर.ए.एस

अपील संख्या

:- 227/2013

सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी विराटनगर तहत उपवन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) जिला जयपुर
प्रार्थी

बनाम

1. चेतन पुत्र दूला जाति रैगर समस्त निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 82 अथवा 232 एल.आर.एक्ट बाबत इन्द्राज दुरुस्ती।

निर्णय

दिनांक 21/3/2017

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 82 अथवा 232 एल.आर.एक्ट के तहत इन्द्राज दुरुस्ती हेतु प्रार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी, विराटनगरकी ओरसे जर्ये अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गांव नवरंगपुरा तहसील विराटनगर स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 35/0.15 हेक्टर वर्तमान में स्थित नवीन ग्राम भैरूपुरा में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 7/100 (प्र0के06) दिनांक 10/05/1961 के अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 2 की उप-धारा (1) प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आरक्षित वन खण्ड के रूप में घोषित की गयी थी। वन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की उप-धारा (10) के अन्तर्गत सरकारी वन के सीमा बन्धों के भीतर स्थित भूमि में किसी भी दीगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नहीं किये जा सकते। यह भूमि जमवारामगढ़ बान्ध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित है। उक्त वर्णित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 के रकबे में से रकबा 4 बीघा भूमि आवंटन कर जर्ये नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 24/09/71 द्वारा दूला पुत्र बीजा के नाम गैर-खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी, जो निरस्त योग्य है। उक्त आवंटी दूला की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गयी, जो भी विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त आराजीयात की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से निरस्त की जाकर प्रार्थी वन विभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।
2. प्रकरण प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की सुनवाई के लिए नोटिस जारी करवाये गये।
3. अप्रार्थी संख्या एक की ओर से जवाब प्रस्तुत कर रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अभिकथन किया कि आराजी विवादास्पद अप्रार्थी के पूर्वजों के नाम मुताबिक पूर्ण प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 19/2/1965 को अलाटमेन्ट की जाकर कब्जा सम्मलवाया गया था, जिस पर आवंटी व उसके स्थानापन्न वारिसान निरन्तर काबिज काश्त हैं तथा उनके व पूर्वजों के नाम गैर खातेदारी/खातेदारी का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया गया। बेहद अफसोस व खेदजनक स्थिति है कि अब वन विभाग द्वारा करीब 50 वर्ष से अधिक समय की लम्बी अवधि के अवसान के बाद कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध तथा कानून का दुरुपयोग करने के आशय से यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं हैं तथा अप्रार्थी व उसके अलावा दलित जाति के सैकड़ों अन्य व्यक्तियों के हक व अधिकारों का हनन होगा। आराजी विवादास्पद किसी भी प्रकार जमवारामगढ़ बान्ध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित नहीं हैं एवं ना ही इस सम्बन्ध में कोई पूर्व का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है। रेफरेन्सकर्ता द्वारा वास्तव में माननीय राजस्थान उच्च

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

राजस्थान द्वारा जवाहित शायिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 22/8/2014 की आड़ लेकर उच्च राजनैतिक पहुंच एवं रसूखदार लोगों द्वारा वास्तविक बहाव क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से बनाये गये बड़े बड़े फार्म हाउसेज, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं अवैध अधिग्रहणों को हटाने के बजाये खाना पूर्ति करने के लिहाज से गरीब अनुसूचित जाति के निम्न वर्ग का जीवन धांपन कर रहे लघु कृषक लोगों के विरुद्ध गलत तरीके से की जा रही उक्त कानूनी न्यायिक एवं नैतिक किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. सरकार सरकार (नायब तहसीलदार, विराटनगर) द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्यों का तही होना स्वीकार करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 1/9/2016 को झूठे करते हुए आराजी विवादास्पद को वन भूमि सिद्ध होना स्वीकार की।

5. जवाबों की बहस सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत को इंगित करते हुए निवेदन किया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 इस प्रकार उल्लेखित करती है कि "वनों के अक्षय व वन भूमि के बनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बन्धन किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त करने अथवा कोई आदेश केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना ही नहीं देगा।" वन भूमि में दस प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित वन सुरक्षित वन या सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में प्रविष्ट किया गया क्षेत्र सम्मिलित है, जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधि० सूचित वन भूमि भी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की परिधि में आती है। उक्त प्रावधानों के अनुसार वन खण्ड के रूप में आरक्षित व सुरक्षित रखी गई भूमि या गैर वन क्षेत्र के उपयोग में लाये जाने के लिए सभी प्रावधानों व मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार की अग्रिम सहमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अभाव में वन भूमि गैर वन भूमि के उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। इस प्रकार से यह प्रावधान भी वन भूमि को गैर वन भूमि के प्रयोग में लाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाता है, इससे अन्य को कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। इसके अलावा जब एक बार राज्य सरकार द्वारा भूमि को वन खण्ड के रूप में आरक्षित कर दिया गया तो अब उसको गैर वन भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता एवं ना ही ऐसी भूमि किसी को आवंटन योग्य है एवं ना ही उक्त भूमि की किसी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान की जा सकती। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत इसकी बाध्यता है। यदि अप्रार्थीगण/उनके पूर्वज को उक्त साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 में से कोई भूमि आवंटित की गई है तो वह भी गलत है। क्योंकि आवंटन से पूर्व ही उक्त आराजीयात दिनांक 10/05/1961 के द्वारा वनखण्ड के रूप में रिजर्व की जा चुकी है, इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 16 में उल्लेखित भूमिका इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होती है तथा राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 28 के अधीन गठित ग्राम वनों के लिए आरक्षित भूमिया तथा भूमि आवंटन के किन्ही विशेष नियमों के अधीन आवंटन हेतु आरक्षित भूमियां भी नियम 4 के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होती है। उक्त प्रश्नगत भूमि वन खण्ड की भूमि के साथ अवस्थित है तथा वनखण्ड के रूप में ही उपयोग में लाई जा रही है। उक्त आराजीयात पर काश्त नहीं हो रही है तथा ना ही अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सम्बन्धी प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है। अतः रेफरेन्स मन्जूर फरमाया जावे।


6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने इसका खण्डन करते हुए अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वन विभाग द्वारा जिस तथाकथित दस्तावेज दिनांक 10/5/1961 को आधार मानकर उक्त भूमि को सरकार में निहित होना अंकित कर रिकॉर्डेड खातेदारों के विरुद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि सरकार द्वारा ही अप्रार्थीगण को पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए सिवायचक भूमि की लम्बी प्रक्रिया के बाद खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। प्रार्थी की ओर से केवल मात्र विज्ञप्ति दिनांक 10/5/1961 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, उनकी ओर से न तो आराजी विवादास्पद पर कब्जा सम्मालकर भौतिक रूप से अपने काबिज काश्त होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड शाहदत प्रस्तुत की गई है तथा ना ही तथाकथित विज्ञप्ति में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटपलली (जयपुर)

कागज नं० 6 में उल्लेखित सीमा विवरण का परिशिष्ट "अ" प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रार्थी को आवंटन की गई भूमि का मौके पर भौतिक रूप से कब्जा सम्भलवाया गया है तथा आवंटित की गई भूमि पर काबिज काशत होने तथा आवंटन की शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही उत्तके नाम राजस्व रिकॉर्ड में पूर्ण प्रक्रिया के तहत गैर खातेदारी तथा खातेदारी दर्ज की गई है, जो राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। इसलिए उक्त तथाकथित विज्ञप्ति दिनांक 10/5/1961 द्वारा प्रार्थी के हक में किया गया आवंटन केवल मात्र एक कागजी आवंटन है, जो अप्रार्थी के हक-हकूकों के प्रति शून्य व बेअसर है। वैसे भी पत्रावली पर प्रस्तुत मूलाबिक खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2027 उक्त विवादित सा० खसरा नम्बर 1233/1 का रकबा 1837 बीघा 5 बिस्वा का था, जिसमें से केवल मात्र 1554 बीघा 7 बिस्वा भूमि ही वन खण्ड के रूप में आरक्षित है। इससे भी प्रार्थी को अलाटमेन्ट की गई एवं उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गयी खातेदारी भूमि वन खण्ड के रूप में आरक्षित की गई भूमि से भिन्न भूमि होना प्रमाणित है, जिससे प्रार्थी का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे।

7. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, विराटनगर) ने भी अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि वन क्षेत्र के लिए आरक्षित घोषित की जाने की विज्ञप्ति दिनांक 10/05/1961 का आदेश सहवन से कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की वजह से उक्त आराजीयात अप्रार्थी व अन्य को अलाट कर दी गयी तथा कालान्तर में उक्त अलाटमेन्ट आदेश की पालना में खातेदारी प्रदान कर दी गयी। मौके पर उक्त भूमि में कोई काशत नहीं की जाना तथा जंगली पेड़ उगे हुए होने से उक्त भूमि वन भूमि होना प्रकट होती है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है।


8. हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत का भलि-भांति अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके मौजा नोरंगपुरा तहसील विराटनगर राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ००७(100)आर०के० 61 दिनांक 10/5/1961 के अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1939 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 1/7/1961 से प्रभाव रखते हुए आरक्षित वन क्षेत्र घोषित की गई थी। परन्तु तत्समय वन विभाग के सम्बन्धित कार्मिक एवं अधिकारी उक्त आदेश के प्रति क्षीण मात्र भी सजग नहीं रहे, बल्कि उनकी अकर्मण्यता एवं उदासीनता से वन विभाग के लिए आरक्षित की गई उक्त भूमि के आदेश तहसीलदार, विराटनगर के समक्ष प्रस्तुत करके ना तो राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल करवाया गया तथा ना ही मौके पर भौतिक रूप से काबिज होने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। इस कारण उक्त आराजीयात की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तूर सिवायचक दर्ज रहने पर उक्त आराजीयात में से 4 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दुला पुत्र विजा जाति रैगर के नाम अलाटमेन्ट कर दी ओर पटवारी हल्का ने अलाटी के नाम गैर खातेदारी का दिनांक 04/06/1970 को नामान्तरकरण संख्या 237 दर्ज कर करीब 15 माह 20 दिन पश्चात् अलाटी का मौके पर कब्जा होना सुनिश्चित कराते हुए सक्षम न्यायालय तहसीलदार, विराटनगर के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नवरंगपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर अवैध रूप से दिनांक 24/9/1971 को स्वीकार करवा दिया गया। जबकि भूमि आवंटन या किसी न्यायालय के आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण को तैय करने की अधिकारिता तहसीलदार में निहित है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार विहीन होने से शुरु से ही अवैध होने के बावजूद भी राजस्व कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए बिना कोई जांच पडताल किये अलाटी व उसके वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी एवं खातेदारी दर्ज करदी ओर वन विभाग के सम्बन्धित कार्मिक एवं अधिकारियों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक की वन भूमि के संरक्षण के लिए विधायिका द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसरण में भी तत्परता से त्वरित कोई कार्यवाही नहीं की जाकर अब उक्त रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र दिनांक 06/03/2013 को लगभग 48 वर्ष पश्चात् न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। यद्यपि विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त आराजीयात के जमवारामगढ बान्ध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित होने के अपने कथनों की पृष्टि में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड व शाहदत भी पेश नहीं की गई हैं तथा ना ही यह स्पष्ट किया गया है


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

कि अप्रार्थी द्वारा भू-आवंटन आदेश की किन किन शर्तों की पालना नहीं की गई है। दूसरी ओर आराजी विवादास्पद भूमिहीन अनुसूचित जाति के सदस्यों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जाकर इसकी खातेदारी भी उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में लगभग 47 वर्ष पूर्व सन् 1971 में ही दर्ज की जा चुकी है जो बदस्तूर आज भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत अहस्तान्तरणीय है। तथापि उक्त विवादित आराजीयात अप्रार्थी व उसके पूर्वजों के नाम आवंटित होने तथा उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज होने से पूर्व ही सन् 1961 में ही वन खण्ड के लिए आरक्षित की जा चुकी थी, भले ही उक्त आदेश की क्रियान्विति की जाने में विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही एवं उपेक्षा बरती जाना ही रही हो, वन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों के आवंटन/नियमन एवं किसी दीगर व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकार प्रदान की जाने की बाध्यता है। मौके की रिपोर्ट से भी उक्त विवादित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाने तथा इसमें जंगली पेड़ उगे होने से वन खण्ड की भूमि होने की ताईद की गई है। चूंकि तहसीलदार, विराटनगर द्वारा उक्त आवंटन सम्बन्धी रिकॉर्ड जीर्ण-शीर्ण होने से अलाटमेन्ट आदेश की नकलें प्रदान की जाने में असमर्थता व्यक्त की है। किन्तु नामान्तरण एवं राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी के नाम भू-आवंटन आदेश के तहत खातेदारी दर्ज होना प्रकट होती है, जो निरस्त की जाने योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप अप्रार्थी के नाम साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 के मिन नम्बर से बरामद हुए हाल आराजी खसरा नम्बर 35/0.15 हैक्टर वाके मौजा नोरंगपुरा से नवसृजित ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर के राजस्व रिकॉर्ड में अवैध रूप से दर्ज की गई खातेदारी गैर कानूनी एवं विधि सम्मत नहीं होने से कारण निरस्त की जाकर वनखण्ड क्षेत्र, वन विभाग, राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी, विराटनगर को आदेश प्रदान किये जाते हैं कि वे समय समय पर राजस्व रिकॉर्ड में हुए समस्त परिवर्तनों एवं आदेश की तीन-तीन प्रमाणित प्रतियों के साथ नियमनुसार रेफरेन्स तैयार कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर इस न्यायालय को 15 दिवस में पालना से अवगत करावें।

10. निर्णय आज दिनांक 21/3/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट मुकाम विराटनगर में सरे इजलास सुनाया गया।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)